17.02.2022 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उप.।
अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए
निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी
पर वक्त सैटलमेंट से कब्जा काश्त
हो स्थायी बंदोबस्त के समय अपीलाधीन
आराजी को राजकीय भूमि दर्ज कर
दी गई जबकि अपीलांटगण की खातेदारी
की भूमि है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय
के समक्ष विचाराधीन है। मामला प्रथम
दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण
के पक्ष में है अतः अपीलांटगण की अपील
स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय विद्यालय की भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण का कोई हक नहीं बनता है ऐसा। बादग्रस्त आराजी का रिकार्ड खातेदार है जिसके विरुद्ध स्थगन पारित करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा ~~पारि~~ स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पत्रावली बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराधीन रहते मौके से अपीलार्थीगण को बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

सेवामें

के पक्ष में प्रतीत होता है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 को अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 व 18.08.2021 को तावाद फैसला कन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में गुणावगुण पर निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

राजस्व अपील अधि...
बाड़मेर